विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 240.04 करोड़ की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जैसे 'सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग', 'दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली', 'दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन' तथा 'नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ' और अधिक/व्यर्थ/निष्फल/अनियमित व्यय, अस्वीकार्य भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹ 1,711.58 करोड़ के 16 पैराग्राफ शामिल हैं।

राज्य सरकार का कुल व्यय 2010–15 के दौरान ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय 2010–11 में ₹ 14,381.74 करोड़ से 2014–15 में ₹ 23,509.49 करोड़ अर्थात 63.47 प्रतिशत तक बढ़ गया, 2010–15 की अवधि के दौरान गैर–योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9,490.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,563.19 करोड़ अर्थात 63.99 प्रतिशत तक और पूँजीगत व्यय 3,984.80 करोड़ से बढ़कर 4,403.94 करोड़ हो गया।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग

- चिकित्सा उपकरण खरीद करने हेतु एक विस्तृत योजना या तो केन्द्रीय रूप से विभाग में या अलग–अलग अस्पतालों के स्तर पर तैयार नहीं की गयी थी।

(पैराग्राफ 2.1.3.1)

- चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा डिलिवरी में दो वर्षों तक की देरी हुई यद्यपि यह कार्य इस तरह की देरी को दूर करने के उद्देश्य से ही बाहरी एजेन्सी को दिया गया। एजेन्सी को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 60.65 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.3.2)

- आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की देरी से आपूर्ति करने के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 95.84 लाख का जुर्माना लगाने में अस्पताल असफल रहे।

(पैराग्राफ 2.1.3.4)

- अस्पतालों ने अपनी वास्तविक जरूरत से अधिक उपकरण तथा उपभोग्य वस्तुओं की ₹ 3.16 करोड़ की खरीद की जो स्टॉक में लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त पड़े रहे।

(पैराग्राफ 2.1.4.1)

- 2009–10 से 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 18.22 करोड़ मूल्य के 66 उपकरण एक माह से दो वर्षों से अधिक की देरी से संस्थापित किये गये।

(पैराग्राफ 2.1.4.2)

- ₹ 83.17 लाख के 21 उपकरण, सहायक उपकरण, रिजेन्ट तथा उपभोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण 15 दिनों से तीन वर्षों की अधिक की सीमा अवधि तक अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 2.1.4.4)

- अस्पतालों ने उपकरणों की मरम्मत पर ₹ 94.78 लाख खर्च कर दिए जो वारंटी अवधि में थे। अस्पतालों ने न तो वारंटी का उपयोग किया न ही फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की पहल की।

(पैराग्राफ 2.1.5.2)

दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली

- दि.अ.से. परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए नियोजित अग्निशमन केन्द्रों की संख्या के निर्माण में असफल रही। नियोजित लक्ष्य 70 की जगह केवल 58 अग्निशमन केन्द्र ही थे।

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

- 2011 की जनगणना के अनुरूप, दिल्ली की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास पर्याप्त पम्पिंग इकाईयाँ नहीं थी। आवश्यक 205 की जगह उनके पास केवल 160 पम्पिंग इकाइयाँ थी। इनमें से 31 (20 प्रतिशत) इकाईयाँ क्रियाशील नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.2.4.2 (अ)

- दि.अ.से. का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। नमूना जाँच के 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, प्रतिक्रिया काल अति आपदा क्षेत्रों एवं समीपवर्ती निर्मित क्षेत्रों में निर्धारित तीन मिनट से अधिक एवं अन्य क्षेत्रों में पाँच मिनट से अधिक था।

(पैराग्राफ 2.2.5)

- दि.अ.से. के पास दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों की संख्या एवं इन इमारतों के लिए जारी किए गये एवं नवीनीकृत किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्रों की स्थिति का कोई विवरण नहीं था।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

- इमारतों में सुरक्षा उपकरणों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की अनुपालना नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.2.7.4)

दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- नियंत्रण क्षेत्र से सीवेज परिशोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) तक सीवेज को लाने के लिए पर्याप्त वहन प्रणाली की कमी के कारण सीवेज परिशोधन संयंत्रो (एस टी पी) की उपयोगिता क्षमता केवल 66 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 2.3.2.1(i))

- अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना द्वारका, बवाना एवं ओखला में 150 एम.जी.डी. हेतु जल परिशोधन संयंत्र एवं सहायक बुनियादी ढाँचे विकसित किये गए।

(पैराग्राफ 2.3.2.2(ii))

- क्रियान्वयन में देरी के लिए, 12 निमार्ण कार्यों में ठेकेदारों के बिल से जुर्माने के एवज में ₹ 104.20 करोड़ कम रोके गये।

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- ठेकेदार को सीवर लाईन के बिछाये जाने हेतु सीमित ट्रेंच से माइक्रो टनलिंग तकनीक में बदलने के लिए अनुमति दी गई जिस कारण ₹ 15.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.3.2)

- 53 निर्माण कार्यों में से 44 में कार्य के क्रियान्वयन में 5 से 85 महीने तक का विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.5.1)

नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ

- जनवरी 2007 में अनुमोदित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर 17 भूमिगत स्वचालित पार्किंग (यू.जी.ए.पी.) में से जुलाई 2015 तक केवल एक को सृजित किया गया था। अभिसामयिक बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.) के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप परामर्श पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.3.3)

- ठेकों का सौंपना तथा ठेका प्रबंधन अनियमितताओं से भरे थे, जैसे कि सशर्त निविदा स्वीकार करना, ठेकेदार से बकायों की गैर–वसूली तथा नयी निविदाएं आमंत्रित न करना जबकि कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया था।

(पैराग्राफ 2.4.4.1, 2.4.4.2 व 2.4.4.3)

- लाइसेंसधारियों द्वारा समझौतों की शर्तों एवं निबंधनो की अनुपालना को सुनिश्चित करने में पारिश्रमिक परियोजना सैल (आर.पी.सैल) की विफलता के कारण पार्किंग स्थलों का कुप्रबंधन हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.5.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी

लाभार्थियों की पहचान में देरी थी। लाभार्थियों की सूची में अयोग्य और असत्यापित व्यक्ति सम्मिलित थे। अनाज ले जाने वाले वाहनों में उनकी निगरानी के लिए जी.पी.एस. यन्त्र नहीं लगे हुए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के डाटाबेस के अन्तर्गत डाटा अपूर्ण थे। लाभार्थियों की पहचान और अनाज के वितरण का सत्यापन करने के लिए विक्रय स्थल मशीनें 2300 उचित दर की दुकानों में से केवल 42 दुकानों में लगी थी।

(पैराग्राफ 3.1)

परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की शासी परिषद ने बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परामर्श के पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तुल्य वेतन संरचना को अपनाया। संस्थान ने बिना सरकार के परामर्श से अपने संकाय–सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता भी ₹ 1000 से ₹ 10000 प्रतिमाह बढ़ा दिया, परिणामस्वरुप ₹ 76 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) में ई– चालान प्रणाली का कार्यान्वयन

ई–चालान प्रणाली डाटा विसंगतियों, इनपुट नियंत्रण की कमी और एकीकृत डाटा की अखंडता की कमी का सामना कर रही थी। अदालत के चालानों के संबंध में अदालत के फैसले को प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया। हाथ से चलने वाले उपकरण में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए सुविधा नहीं थी। कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप काटे गये चालानों की संख्या और राशि दोनों में ही अनुरूपता नहीं थी।

(पैराग्राफ 3.5)

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन धीमा था, क्योंकि सक्षम अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति नही की गई थी तथा सभी अधिसूचित सेवाओं की ऑनलाईन प्रक्रिया नही की जा रही थी। समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समयावधि निर्धारित नही थी तथा सक्षम अधिकारी को विलम्बित सेवाएँ हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधिकार प्राप्त नही थे। ई–एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक्स–सर्विस लेवल एग्रीमेंट) पर डाटा अपलोड करने में अनियमितताएँ थीं जैसे कि अपूर्ण या असत्य सूचना देना, समयावधि का गलत चित्रण करना तथा सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र की अस्वीकृति। सेवाएँ देरी से प्रदान की गई, परन्तु न तो नागरिकों को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया न ही चूककर्ताओं को दण्ड दिया गया।

(पैराग्राफ 3.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. की ई–प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ई–प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन, इसके मूल उद्देश्य को विफल करते हुए, ई–निविदा प्रक्रिया के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के निवारण में असफल रहा। एप्लीकेशन में आवश्यक इनपुट नियत्रंणों तथा वैधता की जाँचों का अभाव था, परिणामस्वरूप डाटा बेस में अपूर्णता तथा असंगतता थी।

(पैराग्राफ 3.7)

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता

निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के प्रयास अपर्याप्त थे। बोर्ड की ओर से शिथिलता के परिणामस्वरुप न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि निष्प्रयोज्य पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

(पैराग्राफ 3.9)

अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत रखरखाव के काम में निविदा की राशि से 1.25 गुना से अधिक ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.10)

₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय

कार्य को प्रदान करने व एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ीयाँ) स्थापित करने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन करने में लोक निर्माण विभाग की असफलता के फलस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.11)

₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने पांच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक के परिवर्तन की अनुमति के बाद सड़क निर्माण कार्य में दोबारा परत बिछाने में 10,131.37 घन मी. की अस्वीकार्य अधिक मात्रा हेतु ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 3.13)

₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उच्च विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों को लगाने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण लोक निर्माण विभाग को ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

(पैराग्राफ 3.14)

दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय का संचालन

दिल्ली में संप्रेक्षण गृहों (ओ.एच.) में पर्याप्त अवसंरचना की कमी थी। नए भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि यह कानूनी अभियोजन में फंसे किशोरों के लिए अनुकूल नहीं था। गैर सरकारी संस्था (एन जी ओ) को समय पर अनुदान न जारी किए जाने के कारण कपड़े, बिस्तर, औषधियों की आपूर्ति, कार्मिकों को वेतन के भुगतान इत्यादि से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हुई। निगरानी तंत्र कमजोर था क्योंकि निरीक्षण समिति ने ओ.एच. का निरीक्षण नहीं किया। विशेष रूप से केयर टेकर, परामर्शदाताओं एवं शिक्षकों जैसे मुख्य पदों पर कार्मिकों की कमी थी।

(पैराग्राफ 3.16)